न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/176

1. नन्द लाल उर्फ भंवर लाल आत्मज श्री दयाल सिंह जाति पासवान निवासी क्वार्टर नं0 जी – 15, बोटम लेवल, एसीसी कॉलोन, लाखेरी जिला बून्दी ।
2. विजय सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति पासवान निवासी पानी की गली, नाहर का चौहट्टा बून्दी ।
3. अजय सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति पासवान, निवासी ग्रमा सिलौर तहसील एवं जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. शिव सिंह पुत्र फतेह लाल जाति पासवान राजपूत निवासी बून्दी हाल निवासी – 120/74 विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर ।
2. शम्भू सिंह पुत्र फतेह लाल जाति पासवान राजपूत निवासी क्वार्टर नं0 डी– 13 सेक्टर 3 –ए, खेतडी नगर, जिला झुन्झुनू।
3. श्रीमती सुमन पुत्री श्री दयाल सिंह पत्नी स्व0 श्री श्रवण सिंह निवासी भंवर लाल पुत्र दयाल सिंह, क्वार्टर नं0 जी–15 बोटल लेवल, एसीसी कॉलोनी, लाखेरी जिला बून्दी ।
4. श्रीमती छोटी पुत्री श्री दयाल सिंह पत्नी श्री बसन्त सिंह जाति पासवान निवासी ग्राम कचरावदा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
5. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहीसलदार, बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रमोहन कुशवाह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 22.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम रायता की

आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 296 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि कुल किता 04 की कुल रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण का है और 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी कम 1 से 5 सम्मिलित रूप से हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार से पारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 के साथ प्रतिवादी कम 4 व 5 का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे तथा वादी को अपने हिस्से 1/2 भूमि पर कब्जा दिलाया जावे तथा उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.03.2017 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 1 से 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर ही वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा का खातेदार स्वामी वादीगण को मान लिया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि पर वादीगण एवं उनके पिता फतेहलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है बिना साक्ष्य के ही वादीगण को खातेदार स्वामी मान लिया है तथा 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने का अधिकार मान लिया है जबकि न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य एवं दस्तावेजात से यह साबित किया है कि भूमि के खातेदार अकेले हर्जी थे एवं उनके मरने के पश्चात् उनकी पुत्री कान्ता व पत्नी सरजु बाई बनी कान्ता बाई व सरजू बाई की वसीयत से भी यह प्रमाणित है कि उक्त कृषि भूमि के खातेदार अपीलान्ट हैं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने कोई स्वतंत्र गवाह, कोई लेख इकरारनामा आदि प्रस्तुत नहीं किया है । केवल राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज है इसके अलावा ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं जिससे वादीगण का वाद साबित होता हो । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन/निर्णय पारित नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि में उनका 1/2 हिस्सा है और वह अपने हिस्से का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम पेश किया था परन्तु उक्त काउन्टर क्लेम कब्जा मुखालफाना के आधार पर पेश किया है जिसमें अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद साबित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.03.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में ए.आई.आर. 2011 पेज 1480, एआईआर 2009 एससी पेज 103, आरएलडब्ल्यू 2011 पेज 332, आरआरडी 1997 पेज 429, आर.आर.डी. 1984 पेज 572, आर.आर.डी. 1986 पेज 226 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने भी अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा एंव काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री में प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध में अपना कोई विवचेन/निर्णय नहीं किया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 16.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा